



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् अपराध को ही अपनी आय का स्रोत मान कर आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 20.02.2021 को थाना महोली की पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए गोगे उर्फ श्याम सुन्दर पुत्र विजयपाल नि0 भगवानपुरग्रन्ट थाना महोली जिला सीतापुर को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए ग्राम गदनिया के पास से गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से मौके से 05 अदद तमन्चा निर्मित एवम् अर्द्धनिर्मित एवं अवैध शस्त्र बनाने व मरम्मत करने के उपकरण बरामद हुए हैं। उक्त संबंध में थाना महोली पर मु0अ0सं0 85/21 धारा 5/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। अभियुक्त उपरोक्त अभ्यस्त अपराधी है, जो काफी समय पूर्व से ही अवैध शस्त्र बनाने के कार्य में लिप्त था। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

पंजीकृत अभियोग-मु0अ0सं0 85/21 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना महोली जनपद सीतापुर

अभियुक्त का नाम व पता- गोगे उर्फ श्याम सुन्दर पुत्र विजयपाल नि0 भगवानपुरग्रन्ट थाना महोली जिला सीतापुर

बरामदगी विवरण-

01 अदद तमन्चा 315 बोर, 02 अदद तमन्चा 12 बोर व अर्द्धनिर्मित 02 अदद अवैध शस्त्र एवं अवैध शस्त्र बनाने व मरम्मत करने के उपकरण बरामद

गिरफ्तारी करने वाली थाना महोली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह
2. उ0नि0 श्री अरूण कुमार सिंह
3. हे0का0 रामआसरे यादव
4. हे0का0 देवेन्द्र धुसिया
5. का0 हमीद खान

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 85/21 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना महोली जनपद सीतापुर
2. मु0अ0सं0 95/16 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना महोली जनपद सीतापुर

